

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/5341

दिनांक 18/12/2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक, के लिए निम्न नगर निगम/परिषद/पालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
नगर निगम जोधपुर (उत्तर)	1.	श्री छोदू खॉ उस्ताद	जोधपुर		
	2.	श्री किशोर बरवड	जोधपुर		
	3.	श्री राधेश्याम हंस	जोधपुर		
	4.	श्री चन्द्र प्रकाश आसेरी	जोधपुर		दिव्यांग
	5.	श्री सुनिल बोहरा	जोधपुर		
	6.	श्री कानाराम भाटी	जोधपुर		
	7.	श्री शिव प्रकाश आर्य (सोनी)	जोधपुर		
	8.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जांगिड)	जोधपुर		
	9.	श्री सरदार बलदेव सिंह	जोधपुर		
	10.	श्री प्रकाश चावडा	जोधपुर		
	11.	श्री मनीष परिहार	जोधपुर		
	12.	श्री ललित सुराणा	जोधपुर		
नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)	1.	श्री इंदू खा मेहर	जोधपुर		दिव्यांग
	2.	श्री ओमप्रकाश परिहार	जोधपुर		
	3.	श्री सत्यनारायण बस्तवा शर्मा	जोधपुर		
	4.	श्री नारायण गुर्जर	जोधपुर		
	5.	श्री राजुकमार आसुदानी	जोधपुर		
	6.	श्री भंवरलाल सियोल	जोधपुर		
	7.	श्री भंवरलाल हटवाल	जोधपुर		
	8.	श्री ओमकार वर्मा	जोधपुर		
	9.	श्री रामचन्द्र सैन	जोधपुर		
	10.	श्री सुरेश सागर	जोधपुर		
	11.	श्री सुभाष चन्द्र धानका	जोधपुर		
	12.	श्रीमती अंजुला रोपिया	जोधपुर		

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपिका नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक 8 (क) (विधि/मनो/डीएलबी/21/ 5342 - 5357

दिनांक 18/12/2021

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (सी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, जोधपुर।
07. निदेशक स्थानीय विधि अकेलाग विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
09. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत्त/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्रवाही करें।
10. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत्त/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्रवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक इंजन एवं मूटण राज्य केन्द्रीय मूटणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क) निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माधुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी